भारतीय मानक ब्यूरो के हरियाणा शाखा कार्यालय द्वारा रोहतक में तलाशी एवं जब्ती की कार्रवाई

रोहतक, हरियाणा | 26 अगस्त 2026

भारतीय मानक ब्यूरो के हरियाणा शाखा कार्यालय द्वारा 25 अगस्त 2026 को मैसर्स जैनाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रोहतक, हरियाणा में तलाशी एवं जब्ती की कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 की धारा 17(3) के उल्लंघन के संदेह के आधार पर की गई।

तलाशी एवं जब्ती की कार्रवाई के दौरान फर्म के परिसर में औषधीय प्रयोजनों के लिए एल्युमिनियम पन्नी (Aluminium Foils for Pharmaceutical Purposes) पाई गई, जो भारतीय मानक IS 16011 के अंतर्गत आती है। उक्त उत्पाद के लिए लागू गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के बावजूद फर्म के पास वैध भारतीय मानक ब्यूरो अनुज्ञप्ति नहीं पाई गई।

कार्रवाई के दौरान लगभग 250 रोल एल्युमिनियम फॉयल, जिनका कुल वजन लगभग 3 टन तथा अनुमानित मूल्य लगभग ₹14 लाख है, को जब्त किया गया।

तलाशी एवं जब्ती की कार्रवाई के लिए गठित भारतीय मानक ब्यूरो की टीम में निम्न अधिकारी शामिल थे:

- श्री अनंत कुमार, वैज्ञानिक-सी / उप निदेशक
- श्री सौरभ चंद्र, वैज्ञानिक-सी / उप निदेशक
- श्री मनीष बिष्ट, वैज्ञानिक-बी / सहायक निदेशक

यह तलाशी एवं जब्ती की कार्रवाई निर्धारित उद्देश्यों के अनुरूप सफलतापूर्वक संपन्न की गई। कार्रवाई के दौरान प्राप्त निष्कर्ष एवं साक्ष्य भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 तथा लागू नियमों के प्रावधानों के अनुसार आगे की प्रवर्तन एवं विधिक कार्रवाई का आधार बनेंगे।

भारतीय मानक ब्यूरो, हरियाणा शाखा कार्यालय की निदेशक एवं प्रमुख, श्रीमती मधुरिमा माधव, ने कहा, "औषधीय प्रयोजनों के लिए एल्युमिनियम पन्नी के संबंध में जारी गुणवत्ता नियंत्रण आदेश

का मूल उद्देश्य जनस्वास्थ्य की रक्षा करते हुए इन उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना है। भारतीय मानक ब्यूरो ऐसे मामलों में आवश्यक प्रवर्तन कार्रवाई करता रहेगा और गुणवत्ता, विश्वसनीयता तथा उपभोक्ता सुरक्षा सुनिश्चित करने के अपने दायित्व को निरंतर निभाता रहेगा।”

भारतीय मानक ब्यूरो निर्धारित भारतीय मानकों एवं अनिवार्य प्रमाणन आवश्यकताओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जा सके तथा बाजार में गुणवत्तापूर्ण और सुरक्षित उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।

*****